भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1513

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए प्रतिकर

1513. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पिछले दस वर्षों के दौरान हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की मृत्यु की संख्या संबंधी आंकड़े हैं और यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मृतक कर्मियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है और यदि हां, तो ऐसे प्रतिकर का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के संबंध में कोई संपरीक्षा या मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने और जोखिमपूर्ण सफाई को पूर्णतया समाप्त करने और स्वच्छता कार्य को पूर्णतया मशीनीकृत बनाने के लिए तैयार की गई समयबद्ध रूपरेखा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): हाथ से मैला उठाने के कारण किसी मौत की सूचना नहीं मिली है।

(ग): जी, नहीं।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के विभिन्न प्रावधानों में अधिनियम की निगरानी और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित आयोग/समिति के गठन का प्रावधान है:-

i. केंद्रीय निगरा नी समिति, राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला और सब-डीविजन स्तर पर सतर्कता समिति।

ii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) को एमएस अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है।

iii. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग या राज्य अनुसूचित जाति आयोग या कोई अन्य सांविधिक संस्था, जो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यों का निर्वहन कर सके।

iv. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

(घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एमएस अधिनियम, 2013)" के प्रावधानों के अनुसार, 6.12.2013 से देश में हाथ से मैला उठाना एक प्रतिबंधित गतिविधि है। उपरोक्त तिथि के बाद कोई भी व्यक्ति या एजेंसी किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर नहीं लगा सकती है। कोई भी व्यक्ति या एजेंसी यदि किसी व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाती है और एमएस अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो उसे उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से हाथ से मैला उठाने की प्रथा की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

सीवर और सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण सफाई की समस्या से निपटने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में न आए।

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट), आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) कार्ड और व्यवसाय सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।
- सफाई कर्मचारियों; उनके अधिकतम पांच व्यक्तियों के समूह तथा निजी स्वच्छता सेवा प्रदान करने वाले ऑपरेटरों (पीएसएसओ) को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी की व्यवस्था करना।
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन करना।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरूआत की थी। इसमें एक नया घटक अर्थात इस्तेमाल किये हुए पानी का प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) शामिल है, जिसका एक उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों में जोखिमपूर्ण प्रवेश को समाप्त करना और सीवर और सेप्टिक टैंकों की हाथ से सफाई के बदले मशीन से सफाई किया जाना है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के लिए निम्नलिखित परामर्श भी जारी किया है:-

i. सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) के ज़रिए सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप का परामर्श।
iii. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए रेडी रेकनर।
iv. सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच करने और उन्हें सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए यूएलबी के माध्यम से देश भर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन करना।

*****